इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के निजिस्वत्व या मालिक के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती (1) श्री .... (2) श्रीमती ....

.... पिता /पति का नाम श्री ....

.... मुहल्ला .... वार्ड नम्बर ....

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।

सहायक अभियन्ता / .... अधिकारी
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्मित अथवा पुनः निर्मित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की वह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण द्वारा अथवा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, छज्जा, तोड़ा, सीढ़ी, इत्यादि नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण छोड़ा गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने उस लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा हो तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत करा कर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

30/11/10

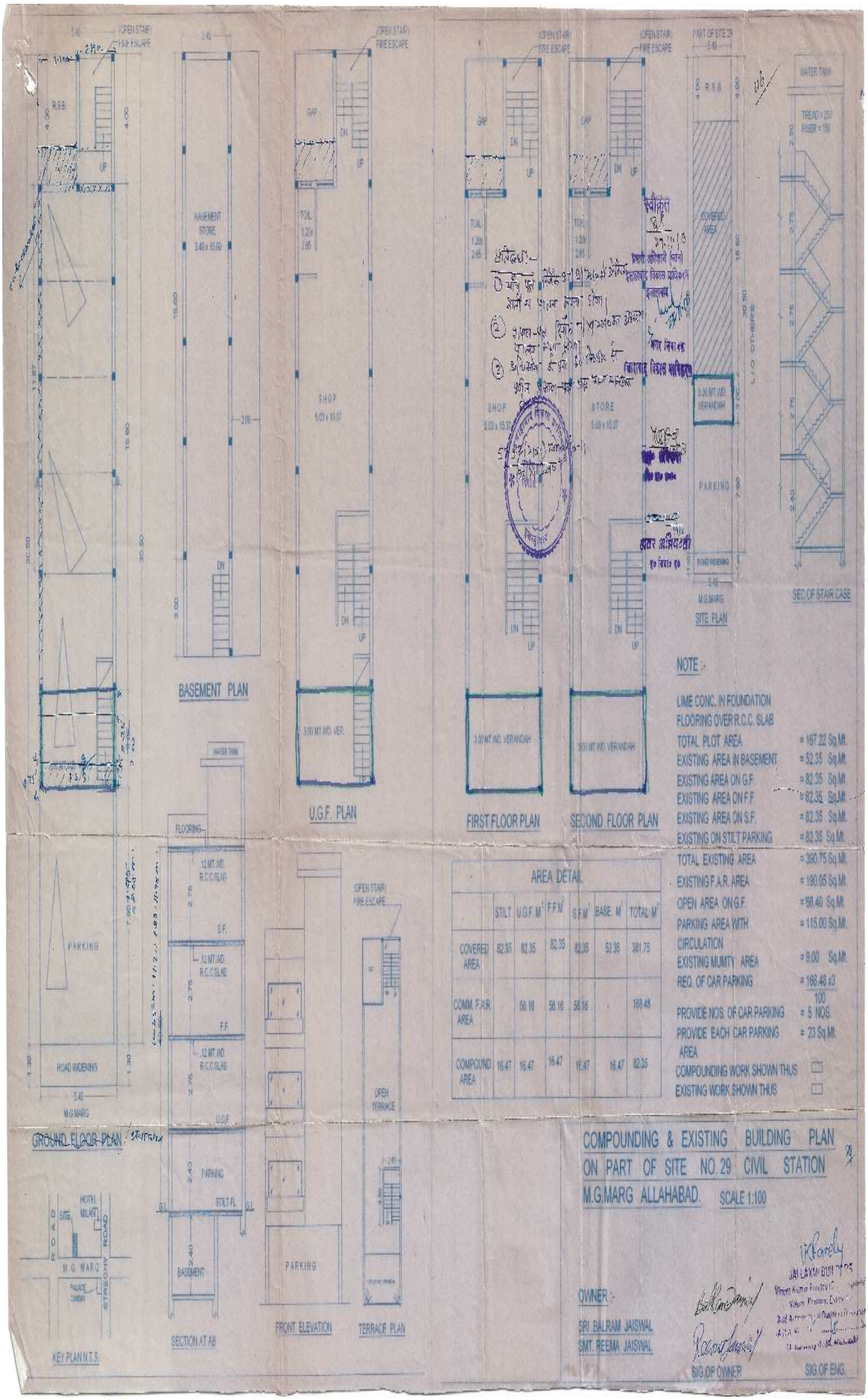

NOTE :-

LIME CONC. IN FOUNDATION	
FLOORING OVER R.C.C. SLAB	
TOTAL PLOT AREA	= 167.22 Sq.Mt.
EXISTING AREA IN BASEMENT	= 52.35 Sq.Mt.
EXISTING AREA ON G.F.	= 82.35 Sq.Mt.
EXISTING AREA ON F.F.	= 82.35 Sq.Mt.
EXISTING AREA ON S.F.	= 82.35 Sq.Mt.
EXISTING ON STILT PARKING	= 82.35 Sq.Mt.
TOTAL EXISTING AREA	= 390.75 Sq.Mt.
EXISTING F.A.R. AREA	= 190.05 Sq.Mt.
OPEN AREA ON G.F.	= 68.40 Sq.Mt.
PARKING AREA WITH CIRCULATION	= 115.00 Sq.Mt.
EXISTING MUMTY AREA	= 9.00 Sq.Mt.
REQ. OF CAR PARKING	= 168.48 x3 / 100
PROVIDE NOS. OF CAR PARKING	= 5 NOS.
PROVIDE EACH CAR PARKING AREA	= 23 Sq.Mt.
COMPOUNDING WORK SHOWN THUS	☐
EXISTING WORK SHOWN THUS	☐

AREA DETAIL

	STILT	U.G.F. M²	F.F.M²	S.F.M²	BASE M²	TOTAL M²
COVERED AREA	82.35	82.35	82.35	82.35	52.35	381.75
COMM. F.A.R. AREA		56.16	56.16	56.16	-	168.48
COMPOUND AREA	16.47	16.47	16.47	16.47	16.47	82.35

COMPOUNDING & EXISTING BUILDING PLAN ON PART OF SITE NO. 29 CIVIL STATION M.G.MARG ALLAHABAD. SCALE 1:100

OWNER :-

SRI. BALRAM JAISWAL
SMT. REEMA JAISWAL

SIG. OF OWNER

JAI LAXMI BUILDERS

SIG. OF ENG.